# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

## // विज्ञापन //

विज्ञापन क्रमांक : 113/परीक्षा/सी.जे./2022 दिनाँक– 17/11/2023

### व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा–2022

| | | |
|---|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि | :– | 17 नवम्बर, 2023 (09:00 **P.M.** बजे से) |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (भुगतान सहित) | :– | 18 दिसम्बर, 2023 (09:00 **P.M.** बजे तक) |
| आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि | :– | 22 दिसम्बर, 2023 दोपहर 12:00 (**P.M.**) बजे से |
| आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि | :– | 24 दिसम्बर, 2023 रात्रि 11:55 (**P.M.**) बजे तक |
| ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि | :– | 14 जनवरी, 2024 (रविवार) |
| ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि | :– | 26 फरवरी, 2024 (सोमवार) |
| मुख्य परीक्षा की तिथि | :– | 30 मार्च, 2024 (शनिवार) एवं<br>31 मार्च, 2024 (रविवार) |
| मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि | :– | 10 मई, 2024 (शुक्रवार) |
| साक्षात्कार की तिथियां | :– | सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद में अधिसूचित की जावेंगी। |
| अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि | :– | अंतिम साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर। |

नोटः– उपरोक्त सभी तिथियों में अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है।

17/11/23

# खंड – "क"

## :: महत्वपूर्ण बिंदु ::

(1) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/शुद्धिपत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

(2) अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण–पत्र से भिन्न अथवा असत्य नहीं करेंगे। पूर्णतः व सही रूप से भरे गये आवेदन–पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है, ही मान्य होंगे।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

(4) आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त/अर्जित की गई किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा।

(5) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भाग लेने की अनुमति देने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना किसी पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

(6) यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, पात्रता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित कोई सारभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गयी है, गलत दी है अथवा छिपाई है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

(7) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(8) चयन प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के उपबंधों के अधीन रहेगी।

17/11/23

(9) विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर विहित कालावधि में उपलब्ध रहेगा।

(10) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये सभी निर्देश व जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लें।

## खंड – "ख"

## पदों का विवरण

(1) श्रेणी :– व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)

(2) वेतनमान :– रू. 77840–136520 लेवल J-1

(3) रिक्त पदों की संख्या :– व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। वर्गवार पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

| क्र. | संवर्ग | वर्ष 2022 के पदों की संख्या | बैकलॉग पदों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 31 | 17 |
| 2 | अनुसूचित जाति | 09 | 11 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति | 12 | 109 |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 01 |
| | योग | 61 | 138 (06 दिव्यांग सहित) |

नोट :–

1. वर्ष 2022 की रिक्तियों में से 6 प्रतिशत (छह प्रतिशत) पद, प्रमस्तिष्क घात को अपवर्जित करते हुए चलन दिव्यांगता, जिसमें रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, पेशीय दुष्पोषण और तेजाब आक्रमण सम्मिलित है, पीड़ित व्यक्तियों के लिए, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्ट है, केवल प्रारंभिक भर्ती के समय, क्षैतिज रूप से आरक्षित रखे जाएंगे;

   परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण दिए गए भर्ती वर्ष में ऐसे आरक्षित पद या उनमें से कोई पद भरा नहीं जाता है तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत की जाएगी।

2. दिव्यांग व म.प्र. राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी

श्रेणी अंकित करें। "अन्य पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा, जो "क्रीमीलेयर" के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में परिवर्तित पदों की संख्या, इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी, परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे।

4. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 (संशोधन, दिनांक 23.06.2023) के नियम 16 के अनुसार अभ्यर्थी परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर, विहित प्रारूप में दस लाख रूपए की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा और यह वचनबंध भी देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम 5 वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा। यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के पूर्व वह सेवा से त्यागपत्र देता है या अन्य रीति में सेवा छोड़ता है या वचन बंध की किन्हीं शर्तों को भंग करता है, तो वचनबंध समपहृत किए जाने के अधीन होगा और वह वचनबंध राशि दस लाख रूपए का भुगतान करेगा;

परंतु जहां अधिकारी पूर्व अनुमति से केन्द्र सरकार या मध्यप्रदेश राज्य सरकार में नौकरी स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र देता है, तो उससे बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी।

5. चयनित अभ्यर्थी को सक्षम मेडिकल बोर्ड से नियमानुसार स्वयं की शारीरिक जाँच कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

## <u>खंड – "ग"</u>

## अर्हताऐं

(1) पात्रता :–कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि –

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराता हो;

(ग) वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण नहीं करता है;

परन्तु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कम से कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरन्तर विधि व्यवसाय किया हो।

अथवा

विधि में पांच/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक कैरियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिसने समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में एवं किसी भी सेमेस्टर/वर्ष में बिना पूरक परीक्षा दिये अथवा बिना ATKT के, सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।

<u>नोट</u> :–(1) अधिवक्ता के रूप में निरन्तर प्रेक्टिस की अवधि की संगणना अभ्यर्थी के प्रावधिक नामांकन की दिनांक से, इस शर्त की अध्यधीन रहते हुए की जावेगी कि उसने प्रावधिक नामांकन होने के दो वर्ष के भीतर ऑल इंडिया बार परीक्षा (जहाँ परीक्षा आयोजित हुई हो एवं कालावधि को आवश्यक समयावधि के रूप में संगणना किये जाने से मुक्त न किया गया हो) उत्तीर्ण कर "प्रेक्टिस प्रमाण पत्र" (Certificate of Practice) प्राप्त किया हो।

(2) अभ्यर्थियों को जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने की दशा में संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेक्टिस करने की दशा में, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अथवा जहाँ अभ्यर्थी द्वारा प्रेक्टिस की जा रही हो, वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी "निरन्तर प्रेक्टिस करने का प्रमाण पत्र" (Certificate of Continuous Practice) भी प्रस्तुत करना होगा।

(3) सहायक लोक अभियोजक / सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की सेवा अवधि की संगणना के संबंध में न्यायदृष्टांत <u>*दीपक अग्रवाल विरूद्ध केशव कौशिक एवं अन्य (2013) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 277*</u> का अनुपालन किया जावेगा।

(4) निरंतर विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के समर्थन में अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की 06 (छः) ऐसे मामलों की आदेश पत्रिकायें/आदेशों/निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ,

जिनमें अभ्यर्थी का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्शित हो रहा हो, प्रस्तुत करनी होंगी। मामलों की आदेश पत्रिकायें प्रस्तुत किये जाने की दशा में ऐसी आदेश पत्रिकाओं से यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि उक्त दिनांक को मामले में कुछ सारवान कार्यवाही हुई है।

(2) **आयु सीमा :–** कोई भी व्यक्ति **व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)** के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, यदि –

(क) उसने दिनांक 1 जनवरी, 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक हैं (चाहे स्थायी हों या अस्थायी) की उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(घ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ था। अतः अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा एक वर्ष की सीमा तक शिथिलनीय होगी।

<u>नोटः</u>– 1. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थी को आवेदन करने की तिथि पर 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता की दशा में ही प्राप्त होगा।

2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थी को केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा।

3. बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के सिवाय कोई अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य का वास्तविक निवासी (मूल निवासी) न हो, सभी प्रकार से सामान्य श्रेणी का माना जाएगा।

(3) निरर्हता :–

1. कोई अभ्यर्थी जो कि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी अथवा भर्ती प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण अथवा गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा गलत या झूठे बयान प्रस्तुत करे अथवा परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करे अथवा अनियमित तरीके से साक्षात्कार अथवा परीक्षा में प्रवेश करने का दोषी पाया जाए, आपराधिक अभियोजन के लिए दायी होने के अतिरिक्त –

17/11/23

(क) यथास्थिति भर्ती प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश

अथवा

(ख) उम्मीदवार के चयन हेतु भर्ती प्राधिकारी द्वारा लिए जा रहे किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वंचित किये जाने का दायी होगा।

2. ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निरर्हित होगा, यदि –

(क) एक से अधिक जीवित पति/पत्नि रखता हो ;

(ख) किसी उच्च न्यायालय, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो;

(ग) किसी उच्च न्यायालय अथवा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग अथवा सरकार द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अधीन गठित किसी सेवा चयन बोर्ड द्वारा किसी नैतिक अधमता में सिद्धदोष पाया गया हो अथवा स्थायी रूप से वंचित अथवा निरर्हित किया गया हो,

(घ) किसी ऐसे अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त पाया गया हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में न्यायिक अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में उचित न हो,

(ङ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन व्यावसायिक कदाचरण का दोषी पाया गया हो,

(च) स्वयं के विवाह के समय दहेज लिया है या लेना स्वीकार किया गया हो।

**स्पष्टीकरणः–** इस खंड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) में नियत किया गया है।

## खंड – "घ"

## परीक्षा शुल्क

पोर्टल व अन्य शुल्कों सहित परीक्षा शुल्क–

| ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा | | |
|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित वर्ग के लिये | रू.977.02/–<br>[परीक्षा शुल्क रू.400 + पोर्टल प्रभार रू.577.02 (रू.335 + रू.154/– कोविड–19 व्यवस्था शुल्क +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु) ] |



17/11/23

| | | |
|---|---|---|
| 2. | आरक्षित वर्ग के लिये<br>[केवल दिव्यांग एवं मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु ] | रू.577.02/–<br>[परीक्षा शुल्क निरंक + पोर्टल प्रभार रू.577.02 (रू.335 + रू.154/– कोविड–19 व्यवस्था शुल्क +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु)] |

नोट :–

1. उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और शुल्क में वृद्धि की दशा में, अभ्यर्थी को अतिरिक्त/बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क वृद्धि के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. अभ्यर्थी का आवेदन तभी जमा माना जायेगा, जब निर्धारित शुल्क का संव्यवहार (Transaction) सफलतापूर्वक हो चुका हो। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा मे वापस या समायोजित नहीं किया जायेगा।
3. दिव्यांग व मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अनुसार शुल्क अदा करेंगे।
4. यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा कि उसके द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन व शुल्क नियत अवधि में या उसके पूर्व सफलतापूर्वक जमा करवा दिया गया है।

## खंड – "ङ"

## ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

**(1) कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दिये गये सभी निर्देशों एवं जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लें।**

(2) अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध रहेगा, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर "Recruitment/Result" टैब पर क्लिक करना होगा, उसके पश्चात् "Online Application Forms/ Admit Cards - Click Here" टैब/लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् परीक्षा का नाम तथा निम्नानुसार लिंक उपलब्ध होंगी :–

| | |
|---|---|
| Madhya Pradesh Civil Judge, Junior Division (Entry Level) Exam-2022 | 1. Advertisement - Click Here<br>2. Registration - Click Here<br>3. Application - Click Here<br>4. Edit Application - Click Here |

नोट :–सर्वप्रथम, अभ्यर्थी **Advertisement** लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

(3) अभ्यर्थी **रजिस्ट्रेशन (Registration)** लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई.–मेल आई.डी. पर User-ID & Password भेजा जायेगा। **रजिस्ट्रेशन फार्म (Registration Form)** को भरकर ऑनलाईन जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक प्रविष्टि में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य है। **रजिस्ट्रेशन (Registration)** करने के दौरान पॉप–अप विन्डो के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में एलर्ट की सूचना प्राप्त होगी तथा प्रविष्टियों के संबंध में चेक–बॉक्स के माध्यम से पुनः–चेक/पुनः–वेरीफिकेशन कराया जायेगा। अतः अभ्यर्थी सभी प्रविष्टियों का सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही **रजिस्ट्रेशन (Registration)** पूर्ण करें। एक बार **रजिस्ट्रेशन (Registration)** हो जाने के उपरांत रजिस्ट्रेशन फार्म में की गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। **रजिस्ट्रेशन फार्म (Registration Form)** में त्रुटि होने की दशा में पुनः विवरण भरकर नया–रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

(4) रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई.–मेल आई.डी. पर User-ID & Password प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग कर अभ्यर्थी Application लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फार्म (Application Form) पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। Online Application Form को पूरा भरने के उपरांत अभ्यर्थी को Application Form Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन के Submit बटन को क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य है। अभ्यर्थी प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही फार्म Submit करें।

(5) रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टि अर्हताकारी दस्तावेजों/प्रमाणपत्र के अनुरुप होनी अनिवार्य है।

(6) Application Form पूर्णतः भरने के बाद अभ्यर्थी पेमेंट गेटवे द्वारा दिये गये भुगतान माध्यमों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने "ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट" प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों के प्रिंट आउट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें। मांगें जाने पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(7) ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय हुई त्रुटि सुधार के लिए Edit Application के रूप में पृथक से समयावधि दी गई है किंतु यह अवधि मात्र आवेदन फार्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई होंगी उनके संबंध में सुधार के लिए लागू होगा। रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनमें सुधार हेतु प्रावधान नहीं है।

नोट :— कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (Online Helpdesk No.) **917353922115** पर तत्काल सम्पर्क करें।

(8) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी द्वारा Application Form में दी गई जानकारी को ही सत्य व पूर्ण माना जावेगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म/पत्र में असत्य या त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

(9) प्रत्येक अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को रात्रि 09:00 P.M. बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के अभाव में आवेदन फार्म स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(10) प्रारंभिक परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अथवा आवेदन शुल्क स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा।

17/11/23

# खंड–"च"

# परीक्षा की योजना

## क– प्रारंभिक परीक्षा

(1) यह परीक्षा तीन चरणों में सम्पन्न करायी जायेगी :–

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा,
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि केवल उपयुक्तता परीक्षा (Screening Test) होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अगले किसी भी चरण के प्राप्तांकों में नहीं जोड़ा जाएगा।

प्रथम दोनों चरणों में, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 29–6/2019–डीडी–III दिनांक 10.08.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सिविल अपील क्रमांक 273/2021, विकास कुमार वि. यू.पी.एस.सी. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 (2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 84)* के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

(2) **ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय व केन्द्र** :–ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन मोड में सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से **दिनांक 14.01.2024 (रविवार)** को ली जायेगी। **परीक्षा का समय, स्थान व केन्द्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किये जायेंगे।** अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु जिले/राज्य के चयन का विकल्प दिया जायेगा, परंन्तु परीक्षा हेतु जिले/राज्य के आबंटन के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा। आबंटित किये गये परीक्षा केन्द्र/जिले/राज्य पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

(3) **प्रवेश पत्र** :– प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर जारी किये जायेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे।

प्रिंटआउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

**(4) ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–**

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम** निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है :–

| स. क्र. | विषय | कुल प्रश्न | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत का संविधान | 5 | 5 |
| 2 | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 | 20 | 20 |
| 3 | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 | 7 | 7 |
| 4 | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 | 8 | 8 |
| 5 | विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 | 6 | 6 |
| 6 | परिसीमा अधिनियम, 1963 | 4 | 4 |
| 7 | म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 | 5 | 5 |
| 8 | म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 | 5 | 5 |
| 9 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | 15 | 15 |
| 10 | भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | 15 | 15 |
| 11 | दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 | 15 | 15 |
| 12 | परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881. | 5 | 5 |
| 13 | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 | 4 | 4 |
| 14 | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 | 3 | 3 |
| 15 | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 | 3 | 3 |
| 16 | सामान्य ज्ञान | 10 | 10 |
| 17 | कम्प्यूटर ज्ञान | 10 | 10 |
| 18 | अंग्रेजी ज्ञान | 10 | 10 |
| | कुल | 150 | 150 |

**नोटः**–1. कुछ प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख/नवीनतम निर्णयों एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्ण पीठ के निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं।

2. उक्त सभी अधिनियमों से, जैसे कि विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक तक संशोधित हों, प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

**(5) <u>ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया</u> :–**

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय) पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 (चार) संभावित उत्तर/विकल्प होंगे, जिन्हें हल करने हेतु कुल 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सुविधा हेतु प्रश्न यथासंभव हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे।

(3) अभ्यर्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेंगे अर्थात् किसी भी प्रश्न को पहले एवं अन्य को बाद में हल कर सकेंगे।

(4) अभ्यर्थी को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। अभ्यर्थी इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित (save) कर सकता है। सुरक्षित (save) करने के बाद अभ्यर्थी उत्तर परिवर्तित कर सकता है, परंतु फाइनल Submit करने/होने के बाद उत्तर में परिवर्तन संभव नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लाना होगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा केंद्र पर कम–से–कम एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जावेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले अभ्यर्थी को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(7) ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) **आवश्यक सूचना :–**

(1) अभ्यर्थी को उसे आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा नियत किये गये समय के पश्चात् परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट मामले में परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।

(3) निर्धारित तिथि, समय या स्थान पर परीक्षा हेतु उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि, समय या स्थान परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।

17/11/23

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाइस, रिकार्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(7) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे। अतः अभ्यर्थी परीक्षा पूर्व प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ लें व उनका पालन करें।

**(7) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :-**

(1) परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Proposed Model Answer Key), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रस्तावित आदर्श उत्तर/उत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे वेबसाइट पर प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के भीतर लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को संबोधित करते हुए करना होगा, इसके लिये अभ्यर्थी को आपत्ति से सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से अथवा pregexamhcjbp@mp.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

ऐसी कोई आपत्ति जो प्रामाणिक दस्तावेजों/स्रोतों से समर्थित न हो या निर्धारित समयावधि में प्राप्त न हुई हो, पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो, पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों की संख्या से अधिकतम 10 गुना अर्थात् प्रत्येक पद हेतु 10 अभ्यर्थी वर्गवार (categorywise) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये सफल घोषित किये जावेंगे तथा अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी सफल अभ्यर्थियों में शामिल किया जायेगा, भले ही उनकी संख्या निश्चित अनुपात 1:10 से अधिक हो जाये।

(3) प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत (अर्थात् कुल 150 में से 90) अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत (अर्थात् कुल 150 में से 82.5, पूर्णांक में 82 अंक) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(4) परीक्षा पूर्ण होने पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये अभ्यर्थियों की वर्गवार (categorywise) सूची, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password से Login कर देख सकते हैं।

## ख– मुख्य परीक्षा

(1) **मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र** :– प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त वांछित/सुसंगत की दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करने होंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही आवेदन डाक विभाग द्वारा की गई देरी के कारण अप्राप्त रहा हो और अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

17/11/23

(2) **प्रवेश पत्र** :—मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर यथासंभव परीक्षा के 7 दिवस पूर्व जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा।

(3) **मुख्य परीक्षा का प्रारूप व आवश्यकतायें :—** मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 100—100 अंकों के कुल 04 (चार) पेपर होंगे एवं प्रत्येक पेपर को हल करने हेतु 3 घंटे का समय दिया जायेगा। मुख्य परीक्षा निम्न दिनांकों व समय पर होगी :—

| क्र. | प्रश्न—पत्र | दिनांक |
|---|---|---|
| 01 | प्रथम प्रश्न पत्र<br>**संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया** | 30.03.2024 शनिवार |
| 02 | द्वितीय प्रश्न पत्र<br>**लेखन एवं संक्षेपण** | 30.03.2024 शनिवार |
| 03 | तृतीय प्रश्न पत्र<br>**स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया** | 31.03.2024 रविवार |
| 04 | चतुर्थ प्रश्न पत्र<br>**निर्णय लेखन** | 31.03.2024 रविवार |

नोटः— <u>अभ्यर्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर—पुस्तिका(ओं) का मूल्यॉकन नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थिता को निरस्त माना जावेगा।</u>

(4) **मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :—**

(अ) **प्रथम प्रश्न पत्र (संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :—**

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
6. परिसीमा अधिनियम, 1963

(ब) **द्वितीय प्रश्न पत्र (लेखन एवं संक्षेपण) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :—**

1. लेख, सामाजिक विषय पर — 20 अंक
2. लेख, विधिक विषय पर — 20 अंक
3. संक्षेपण (विधिक) — 20 अंक
4. अनुवाद, हिन्दी से अंग्रेजी — 20 अंक
5. अनुवाद, अंग्रेजी से हिन्दी — 20 अंक



17/11/23

(स) तृतीय प्रश्न पत्र (स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय 13 एवं अध्याय 17)
5. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र (निर्णय लेखन) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विवाद्यकों का स्थिरीकरण | – 10 अंक |
| 2. | आरोप विरचना | – 10 अंक |
| 3. | निर्णय लेखन (सिविल) | – 40 अंक |
| 4. | निर्णय लेखन (दांडिक) | – 40 अंक |

नोट– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने होंगे।

2. संक्षेपण के लिए अभ्यर्थी को दिये गये आलेख का लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण करना होगा।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के प्रश्नों में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी भाषा का पाठ मानक माना जायेगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय उसी प्रश्न का क्रमांक उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक है जिसका उत्तर दिया जा रहा है।

5. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक अथवा ऐसा कोई चिन्ह अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से पृथक किया जा सके या अलग से पहचान की जा सके।

17/11/23

6. अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में निर्दिष्ट किये गये किसी न्यायालय, पक्षकार, साक्षी अथवा किसी व्यक्ति के नाम से भिन्न किसी नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। न्यायालय के नाम के स्थान पर हिन्दी में "क ख ग......" अथवा "अ ब स......" तथा अंग्रेजी में " A B C......" अथवा " X Y Z ......" का उल्लेख किया जा सकेगा।

संदर्भ से अन्यथा किसी नाम या पहचान का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और ऐसा करना अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार हो सकेगा।

7. अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय M.P Rules & Order (Criminal), M.P. Civil Court Act, 1958 व M.P. Civil Court Rules, 1961 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है।

(5) मुख्य परीक्षा का परिणाम :–

1. मुख्य परीक्षा में **अनारक्षित वर्ग** एवं **अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा **अनुसूचित जाति** एवं **अनुसूचित जनजाति** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं सभी चार प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चारों प्रश्न पत्रों के सम्मिलित अंकों के आधार पर मेरिट बनायी जायेगी। वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ग की मेरिट में अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे भले ही सफल अभ्यर्थियों की संख्या इस कारण 1:3 के अनुपात से अधिक हो जाये।

## ग– साक्षात्कार

(1) **साक्षात्कार** :– मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए निरर्हित माना जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(2) **अंतिम चयन का आधार** :– पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा एवं मौखिक/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जावेगा। प्रत्येक वर्ग में अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी।

(3) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अंकों की पुनर्गणना अथवा प्रश्नों/ प्रश्न पत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त समस्त आवेदनों/अभ्यावेदनों को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(4) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने हेतु नियत न्यूनतम अंकों की सीमा को शिथिल करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

## खंड–"छ"
## परीक्षा सम्बन्धी अन्य जानकारी व निर्देश

(1) **अनुचित साधन** :– परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप/गतिविधि में संलिप्त पाये जाने पर, अनुचित साधन (Unfair Means) का उपयोग माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उन्हें स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकेगा :–

(1) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार से नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना या अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) परीक्षा कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी/अधिकारी या परीक्षा से संबंधित व्यक्ति के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

17/11/27

(6) परीक्षा कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी/अधिकारी/व्यक्ति को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाना।

(7) नकल प्रकरण के संबंध में या अन्यथा कोई भी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा गलत या त्रुटिपूर्ण रूप से दिया जाना।

(2) <u>परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश :–</u>

1. परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/उपयोग करने का प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका अथवा प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

3. परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, अन्य किसी भी प्रकार का संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस उपकरण (device) लाना वर्जित है।

4. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

(3) **सूचनायें/शुद्धि पत्र/ई–मेल :–** भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत सभी प्रकार की सूचनायें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर सूचना पत्र/शुद्धि पत्र जारी करके दी जायेंगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/शुद्धिपत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

(4) **सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :–** ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत 03 माह की अवधि तक अभ्यर्थी के प्राप्तांक तथा उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किये गये क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर देख व उसका प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् उत्तर पुस्तिका



17/11/22

(रिस्पांस शीट) परिरक्षित नहीं रखी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी उम्मीदवारी किसी भी कारण से निरस्त कर दी गई हो, की अंकसूची जारी नहीं की जायेगी।

अंतिम चयन सूची/परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची एवं अंक केवल सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किये जाने पर प्रदान किये जाएंगे।

अभ्यर्थी अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आर.टी.आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर "सूचना के अधिकार" के अंतर्गत अंतिम चयन सूची/परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम चयन सूची/परिणाम की घोषणा से पहले मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंक की जानकारी हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) **विनष्टीकरण** :– चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज या सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में किसी प्रकरण के लंबित होने की दशाओं को छोड़कर परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं, आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों को छोड़कर) व अन्य सामग्री, अंतिम चयन सूची/परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी।

17/11/23

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल